तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुकेश कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/244**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.23	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ.19(5)(8)आरटीआई/2023/269 दिनांक 14.07.2023 प्राप्त जिसमें अंकित किया गया है कि कार्यालय के पत्रांक 184 दिनांक 09.06.2023 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत नही दी जा सकती है। अतः आप पूर्ण सूचना के साथ किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपील को खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 184 दिनांक 09.06.223 द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र में आवेदन कर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है जिससे यह नही माना जा सकता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना देने इन्कार किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि न्यायालय की पत्रावली की वांछित सूचना हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। इसके लिये लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त जयपुर।	